न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला अजमेर (राज.)

19/3/20

श्री उ0प0/ श्री मनीष अधिवक्ता उप0/
वादी अभियोजन की ओर से PW 5 Rajesh के बयान लेकर बंद किए। अन्य गवाह उप0 नहीं। गवाह जप्तीशुदा, कब्जा व मालखाना डीए A/W तलब हो। आज पर तालेखाती व सफाई के TARGET पूरा होने के कारण अंकित हो। पत्रावली वास्ते वादी अभियोजन हेतु दिनांक 25/3/20 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरवाड़ जिला-अजमेर

दुरुस्त
23/3/20